फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

मानाराम बनाम नवलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 नं. 139 सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.04.17	प्रार्थी की और से प्रार्थी वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वकील को अन्तरिम आदेश पर एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण की पैतृक संपति की भूमि पैतृक है। सुविधा का सन्तुलन एंव प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 29/05/2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी मौजा बनिया धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 207/70,219/211,221/210 रकबा 11.00,24.03,12.00 बीघा, व मौजा काकड़ो की ढाणी खसरा नम्बर 538 रकबा 13.08 बीघा, व मौजा दानोणी मेघवालों की ढाणी खसरा नम्बर 1142 रकबा 87.00 बीघा की भूमि मे विप्रार्थीगण किसी प्रकार का टांका निर्माण व सड़क निर्माण नही करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 29/05/2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

29/05/17

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2017 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कानोड़ में रखी गई प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/07/2017 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

26/07/17

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने बताया की विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में रडोबदल करने व मौके पर पुरानी माडो को तोड़कर खुर्द बुर्द करने पर उतारु है इसलिए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20/04/2017 को तामेमला बाद कन्फर्म किया जावे व विप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे व मौके पर पुरानी माडो में किसी प्रकार की रडोबदल नहीं करें तथा विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में विप्रार्थीगणों को अनावश्यक परेशान कर रहे है व अपने पुराने कब्जे में निर्मित घर के अन्दर कोई किसी प्रकार का निर्माण आदि करने से स्थगन की आड़ में मना कर रहे है इसलिए प्रार्थी द्वारा पूर्व में लिए गये स्थगन आदेश दिनांक 20.4.17 को खारीज किया जावे।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरान्त पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.5.17 को खारीज किया जाता है। तथा साथ ही दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि मौके पर स्थित पुरानी माडो में कोई भी प्रकार का रदोबदल नहीं करें व न ही खुर्द बुर्द करें पत्रावली कमल कुमार री, दर्ज नम्बर ले कर दी, मूल पाट के संलग्न रहे। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner